कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 58/2016–17

मो0 समसुद्दीन,
पिता स्व0 रमजान मियां,
ग्राम– झलपो, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

23/12/16 आवेदक मो0 समसुद्दीन, पिता स्व0 रमजान मियां, ग्राम– झलपो, झु0 ति0, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 19, प्लॉट नं0 109, 232, 310, 412 वगै0, रकवा 0.38 ए0 भूमि की सरकारी रसीद इनके पिता रमजान मियां के नाम से निर्गत होते आ रहा था, जो पंजी ।। के पृष्ठ सं0 307/1 पर दर्ज था। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 16/01/17 को उपस्थापित करें।

23/12/16

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

16/01/17 अभिलेख उपस्थापित।

17/04/17 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा झलपो, थाना नं0 01 के चालु पंजी ।। के पेज नं0 307/1 पर खाता नं0 19, 21/22, रकवा 0.61 एकड भूमि आवेदक के पिता रमजान मियां पिता लटु मियां के नाम से दर्ज था। उक्त पंजी ।। के पेज नं0 307/1 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आवेदक द्वारा मौजा झलपो, खाता नं0 19, प्लॉट नं0 310, 412 वगै0, रकवा 0.38 ए0 भूमि का जमाबन्दी कायम करने हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदित भूमि का स्थानीय जांच किया गया। स्थानीय जांच में आवेदक एवं अन्य लोगों के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। जिसका केवाला सं0 8504 दिनांक 10.05.1974 है। लगान वर्ष 1994–95 तक निर्गत है। स्थल जांच के कम में मो0 मोहिउदीन, मो0 समीम, जब्बार मियां, मो0 मुसलिम वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर आवेदकगण का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा किसी प्रकार का आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद 551580, दि0 03.02.85 एवं 837964, दि0 29.11.94 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर रमजान मियां पिता लटु मिंया के नाम से दर्ज था। अंचल नाजिर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद सं0 837964, दि0 29.11.94 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा झलपो के खाता नं0 19 में प्लॉट नं0 109 रकवा 0.03 ए0, प्लॉट नं0 232 रकवा 3.33 डी0, प्लॉट नं0 127 रकवा 5.33 डी0, प्लॉट नं0 201 रकवा 0.04 ए0, प्लॉट नं0 310 रकवा 1.66 डी0, प्लॉट नं0 412 रकवा 0.66 डी0, प्लॉट नं0 417 रकवा 0.16 डी0, प्लॉट नं0 430 रकवा 0.66 डी0, प्लॉट नं0 472 रकवा 4.16 डी0, प्लॉट नं0 484 रकवा 02 डी0, प्लॉट नं0 640 रकवा 04 डी0, प्लॉट नं0 672 रकवा 2.50 डी0, प्लॉट नं0 134 रकवा 07 डी0 इस प्रकार कुल 13 प्लॉट मिलाकर 0.38 ए0 भूमि आवेदक के पिता रमजान मियां पिता स्व0 लटू मियां के नाम से प्राप्त है। आवेदक द्वारा स्थल पर बताया गया कि उक्त खरीदगी भूमि में प्लॉट नं0 109, रकवा 03 डी0 वो प्लॉट नं0 332 रकवा 3.33 डी0 वो प्लॉट नं0 201 रकवा 0.04 ए0 इस प्रकार कुल 10.33 डी0 भूमि आवेदक द्वारा पूर्व मे विक्रय कर दिया गया है तथा शेष बचा प्लॉट का रकवा 27.5 डी0 भूमि में आवेदक द्वारा खेती बारी का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी II का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 19, प्लॉट नं0 310, 412 वगै0, रकवा 27.5 डी0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 19, प्लॉट नं0 127 रकवा 5.33 डी0, प्लॉट नं0 310 रकवा 1.66 डी0, प्लॉट नं0 412 रकवा 0.66 डी0, प्लॉट नं0 417 रकवा 0.16 डी0, प्लॉट नं0 430 रकवा 0.66 डी0, प्लॉट नं0 472 रकवा 4.16 डी0, प्लॉट नं0 484 रकवा 02 डी0, प्लॉट नं0 640 रकवा 04 डी0, प्लॉट नं0 672 रकवा 2.50 डी0, प्लॉट नं0 134 रकवा 07 डी0, कुल 27.5 डी0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक रमजान मियां, पिता लटू मियां, ग्राम झलपो के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी
कोडरमा

Scanned with CamScanner